संख्या-1/2017/938/78-2-2017-193आई.टी./2016

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 04 अप्रैल, 2017

विषयः- डिजी-धन मेलों के माध्यम से लकी ग्राहक योजना (एलजीवाई) तथा डिजी-धन व्यापार योजना (डीवीवाई) द्वारा डिजिटल पेमेन्ट को बढावा देने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया श्री अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के पत्र डी0ओ0 नं0 76262/2016/ओ/0सीईजो, दिनांक 27-03-2017 (छायाप्रति संलग्न) एवं डी0ओ0नं0 एम-11099/18/2016- डीएम एण्ड ए, दिनांक 25-03-2017 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डिजी-धन मेलों के अन्तर्गत लकी ग्राहक योजना (एलजीवाई) तथा डिजी-धन व्यापार योजना (डीवीवाई) द्वारा प्रदेश के नागरिकों एवं व्यापारियों को डिजिटल पेमेन्टस करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा हैं।

2- प्रदेश में डिजिटल पेमेन्ट को प्रोत्साहित करने हेतु डिजी-धन मेलों का आयोजन किया जा रहा हैं। इन मेलो के अन्तर्गत दिनांक 25-12-2016 से दिनांक 14-04-2017 के मध्य, देश के अलग-अलग 100 शहरों में लकी ग्राहक योजना (एलजीवाई) एवं डिजी-धन व्यापार योजना (डीवीवाई) का आयोजन किया जा रहा हैं। वर्तमान में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से डिजी-धन मेलों का आयोजन प्रदेश के 05 जनपदों यथा- लखनऊ, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, एवं गोरखपुर में सफलतापूर्वक किया जा चुका हैं एवं दिनांक 03-04-2017 को जनपद वाराणसी में एवं 08-04-2017 को जनपद इलाहाबाद में किया जाना हैं।

3- डिजी-धन मेलों मे प्रदेश के नागरिकों को लकी ग्राहक योजना एव व्यापारियों को डिजी-धन व्यापार योजना के अन्तर्गत लकी-ड्रा के माध्यम से पुरस्कृत किया जा रहा है।

4- प्रदेश में डिजी-धन मेलों के सफल आयोजन के उपरान्त दिनांक 14-04-2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लकी ग्राहक योजना (डीवीवाई) के अन्तर्गत मेगा लकी ड्रा का आयोजन नई दिल्ली में अपराहन 4:00 बजे से 5:00 के मध्य किया जायेगा। इसके साथ ही डिजिटल पेमेन्ट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन भी मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा।

5- डिजिटल पेमेन्टस के वृहद प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक नागरिकों/ व्यापारियों के बीच इसकी जागरूकता हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 14-04-2017 को अपराहन 4:00 बजे से 5:00 के मध्य किये जाने वाले सम्बोधन को दूरदर्शन द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में प्रसारित किया जाएगा।

6- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश में डिजिटल पेमेन्ट को बढावा दिये जाने के लिए किये गये अथक प्रयासों/क्रियाकलापों को आपके जनपद में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभिन्न कार्यक्रमो, मेलों, प्रमोशनल सामाग्रियों के माध्यम से दिनांक 14-04-2017 को प्रचारित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर डीएलबीसी सदस्य, इण्डियन आयल कारपोरेशन, इफको, बीएसएनएल, नायलेट, लीड बैंक, यूआईडीएआई जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं सीएससी इत्यादि संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाये।

7- उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु नीति आयोग भारत सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के मध्य समन्वय के लिए जरूरी जानकरी (फारमेट संलग्न) को श्री आलोक कुमार, सलाहकार नीति आयोग की ई-मेल आईडी alokkumar.up@ias.nic.in पर उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति आईटी एवं इले0 विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि कृपया जनपद स्तर पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संख्याः938(1)/78-2-2017 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ ।
2- सचिव, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्राद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ ।
4- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन ।
5- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0 को सूचनार्थ ।
6- महानिदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, लखनऊ।
7- श्री आलोक कुमार, सलाहकार, नीति आयोग भारत सरकार।
8- संयुक्त सचिव, राज्य योजना आयोग, अनुभाग-1 योजना भवन, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक, सीईजी, उ0प्र0।
10- हेड एसईएमटी, उ0प्र0।
11- निदेशक, दूरसंचार विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
12- महाप्रबन्धक, बैंक आफ बडोदा, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13- महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

14- चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर, नेशनल पेमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, मुम्बई।

15- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

16- श्री अविनाश वर्मा, अधिशासी निदेशक, इण्डियन आयल कारपोरेशन को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

17- राज्य प्रबन्धक, इफको को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

18- सीजीएम, यूपी ईस्ट एवं यूपी वेस्ट, बीएसएनएल को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

19- एडीजी, यूआईडीएआई, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

20- प्रबन्धक, नायलेट, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

21- स्टेट हेड, सीएससी एसपीवी को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

22- समस्त डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर, जन सेवा केन्द्र को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

23- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र विक्रम)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।